

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 535]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 29 सितम्बर 2022—आश्विन 7, शक 1944

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2022

क्र. 1314-रास.-यू.ए.5-2022.—जवाहरलाल कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 की धारा 37 की उपधारा (6) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय कुलाधिपतिजी द्वारा विश्वविद्यालय के परिनियम की धारा 24 एवं 24(1)(ii) में निम्नानुसार संशोधन किये जाने हेतु दिनांक 9 सितम्बर 2022 को अनुमोदन प्रदान किया है:—

1. परिनियम 24 के शीर्षक में (Faculties) शब्द के स्थान पर अध्ययन मंडल (Board of studies) स्थापित किये जाने हेतु.
2. परिनियम 24 की कंडिका (1) की उपकंडिका (ii) Faculty of Veterinary Science and Animal husbandry के स्थान पर Faculty of Horticulture स्थापित किये जाने हेतु.

कुलाधिपति, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, गवालियर के आदेशानुसार,
स्वरोचिष सोमवंशी, राज्यपाल के उपसचिव,